उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-18/2015/386/78-2-2015-169आई.टी./2014

लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक-2852-उद्योग-आयोजनागत-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-14-सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स-31-सहायता अनुदान-सामान्य, (वेतन) रू0 7632 हजार (रूपये छियत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) की बचत निम्नानुसार एतदद्वारा वित्त विभाग को पुनर्ग्रहण हेतु समर्पित की जाती हैः-

आयोजनागत (धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मदे	बचत की धनराशि		बचत का कारण
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	
अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) लेखाशीर्षक-2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स 14-सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स 31-सहायता अनुदान-सामान्य, (वेतन)	7632	--	मांग न होने/सी.ई.जी.में पद रिक्त होने के कारण
महायोग	7632	--	

(रूपये छियत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

वित्त विभाग

संख्या-वित्त ई-6-189/दस/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कुल रू0 7632 हजार (रूपये छियत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) की बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहीत कर ली गई है।

(अविनाश चन्द्र द्विवेदी)
उप सचिव, वित्त विभाग
उ0प्र0 शासन

संख्या- 18/2015/386(1)/78-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उद्योग निदेशक, (अर्थ अनुभाग) उ0प्र0, कानपुर।
2. संयुक्त सचिव/अनु सचिव (एच/बी), आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एल.सी./यूपीडेस्को, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्त एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव (पी/एन), आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (बजट) अनुभाग-1।
7. लघु उद्योग अनुभाग-2 एवं 3 तथा औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in